

	<p><b>कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)</b>  <b>महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान</b>  <b>जिला-टोंक</b></p> <p>Email: egsmm.tonk@gmail.com          Tel.No.: 01432-247117, 01432-247157 Fax No.: 01432-247147</p>	
--	--	--

क्रमांक:-एफ ( ) MGNREGS /स्था./ 2022-23 / 2296

दिनांक :- 13/10/2022


**विज्ञप्ति**

**ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण**


महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 14.10.2022 से 31.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. स.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	39	500 / - प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट [www.tonk.rajasthan.gov.in](http://www.tonk.rajasthan.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है एवं आवेदन की प्रक्रिया विज्ञप्ति में संलग्न विभागीय पत्र दिनांक 07.10.2022 के निर्देशानुसार रहेगी। आवेदन केवल ई-मेल आई.डी. [onlineapplicationbrptonk@gmail.com](mailto:onlineapplicationbrptonk@gmail.com) के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।


  
**अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)**  
**सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी**  
**जिला परिषद, टोंक**





कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)  
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान  
जिला-टोंक

Email: egsmm.tonk@gmail.com  
Tel.No.: 01432-247117, 01432-247157 Fax No.: 01432-247147



क्रमांक:-एफ ( ) MGNREGS / स्था. / 2022-23 / 2297

दिनांक :- 13/10/2022

**विज्ञप्ति**

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद् स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते हैं:-

**1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश :-**

क्र.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या (39)	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष	31.10.2022

**2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-**

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र (Online) लिये जायेंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होंगी। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय टोंक की वेबसाइट [www.tonk.rajasthan.gov.in](http://www.tonk.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- केवल ऑनलाईन रीति से ही आवेदन लिये जायेंगे।
- ऑनलाईन आवेदन:- आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की फोटोप्रति (पीडीएफ) आवेदन की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जिले के इस भर्ती हेतु नवसृजित ई-मेल [onlineapplicationbrptonk@gmail.com](mailto:onlineapplicationbrptonk@gmail.com) पर प्रेषित करें। आवेदन पत्र निर्धारित समय में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्कैन कर पीडीएफ फाईल में भेजें, जो कि 5 MB से ज्यादा न हो।



3. परीक्षा शुल्क – आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क राशि रू.100/- SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में “Director, SSAAT” के नाम से जमा करावे तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवाये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति. पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।
4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें :- सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)SSAAT /नियमावली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यता- पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. प्रशैक्षणिक /तकनीकी योग्यता – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु – आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदन-कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-  
 (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।  
 (ख) बिन्दु संख्या 4(5) के लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।  
 (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।  
 (घ) बिन्दु संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा आयोजित की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
5. आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण -पत्र आधार माना जायेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।





8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/ रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह जिला कलेक्टर, टोंक कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
5. **ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :-** ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2022 से दिनांक 31.10.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक जिला टोंक की आधिकारिक वेबसाईट [www.tonk.rajasthan.gov.in](http://www.tonk.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड/प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित इस भर्ती के आवेदनों हेतु नवसृजित ई-मेल आईडी. [onlineapplicationbrptonk@gmail.com](mailto:onlineapplicationbrptonk@gmail.com) पर भरे जायेंगे।
6. **मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**
  1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेरा-फेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
  2. दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की, जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी। वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित हैं।
8. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित पूर्णतः निष्पक्षता-पूर्वक, गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
9. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त है।
10. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल टोंक न्यायालय होगा।
11. उक्त पदों की भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना टोंक जिले की आधिकारिक वेबसाईट [www.tonk.rajasthan.gov.in](http://www.tonk.rajasthan.gov.in) पर ही उपलब्ध करवायी जायेगी। किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करवायी जायेगी। अतः समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि इस वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

संलग्न :-

1. आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जारी विभागीय पत्र दिनांक 07.10.2022 की प्रति।
2. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधित विनियम, 2020 (आदेश संख्या 02/2020 एवं आदेश संख्या 10/2020)
3. जिलेवार आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों की संख्या
4. विज्ञप्ति का प्रारूप
5. आवेदन पत्र का प्रारूप

(देशल दान IAS)

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)  
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, टोंक



क्रमांक:-एफ ( ) MGNREGS /स्था./2022-23/2298-2308

दिनांक :- 13/10/2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. अति. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह जिला कलेक्टर महोदया, टोंक।
6. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
8. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, टोंक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि भर्ती का लिंक बनाकर जिला टोंक की आधिकारिक वेबसाईट पर दर्ज करावे।
9. परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी (ईजीएस/आंत. अंकेक्षण), कार्यालय हाजा।
10. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस सह विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला-टोंक।
11. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)  
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, टोंक





राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)  
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर  
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

E-mail

दिनांक: 07 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ.61(158)SSAAT/सा.अंके./2020-21/9729

समस्त जिला कलेक्टर एवं  
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा)  
राजस्थान

विषय:- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जिला स्तर पर ऑनलाइन चयन करने के संबंध में दिशा निर्देश।  
संदर्भ:- कार्यालय के पत्र क्रमांक:एफ.61(158)SSAAT/सा.अंके./2020-21/9559 दिनांक 28.09.2022 एव  
पत्र क्रमांक 9584 दिनांक 29.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में जिलेवार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु चयन संबंधी निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया अपनावें:-

- केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन लिये जायेंगे।
- जिलेवार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वप्रथम जिले की वेबसाईट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप हेतु मेनूबार में "ऑनलाइन एप्लीकेशन" के नाम से सृजित करें।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" मेनू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप (संलग्न) पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करें जिससे अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकें।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" मेनू में नवसृजित ई-मेल एड्रेस भी लिखें।
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर एक नवसृजित ई-मेल आईडी के द्वारा आवेदन लिये जायें।
- भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक ई-मेल आईडी केवल आवेदन प्राप्त करने हेतु सृजित की जावे, जिस पर आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र पीडीएफ फॉरमेट में संलग्नकों सहित मेल कर सकें।
- यह नवसृजित ई-मेल आईडी केवल आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु सृजित हो तथा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि उपरान्त जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष इसे Open कर सभी आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसमें क्रम संख्या अंकित करें। प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति के सदस्यों के लघु हस्ताक्षर अंकित होने आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्कैन कर पीडीएफ फाइल में भेजे, जो पांच एमबी से ज्यादा न हो।
- उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाये जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भर कर उसे जिले की नवसृजित ई-मेल एड्रेस पर पीडीएफ फाइल में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व भेज दें।
- आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100/- रु0 SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवाये।
- अजा/अजजा/अति पिछडावर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" के नाम से सबमेनू एवं नई ई-मेल आईडी सृजन के उपरान्त ब्लॉक संसाधन व्यक्ति चयन की संशोधित विज्ञापित जारी कर उसमें उक्त प्रक्रिया को वर्णित करे ताकि अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन भर सकें। संशोधित विज्ञापित जारी करने के साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 31.10.2022 तक बढ़ाया जाये।

क्रमांक एफ.61(158)SSAAT/सा.अंके./2020-21/9730-33

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
2. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. उपनिदेशक/लेखाधिकारी(सामाजिक अकेक्षण एवं प्रशासन) सहायक लेखाधिकारी, समस्त, SSAAT.
4. रक्षित पत्रावली।

भवदीय,  
(संदीप चौहान)  
निदेशक

दिनांक: 07 अक्टूबर 2022

sd  
(संदीप चौहान)  
निदेशक



समिति ने ही लिखित परीक्षा  
कम से कम होने पर या  
- 1.5 गुणा आवेदकों का

संबंधी नापदगुणों के  
पर नियुक्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक  
विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497

दिनांक 12/3/2020

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शारीरिक निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 निम्नानुसार होंगे :-
- ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी चयन संबंधी विनियम, 2020 कहलायेंगे।
  - ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में संविदा के आधार पर लिखे जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु लागू होंगे।
  - इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग होंगे।
  - सोसायटी में उपरोक्त वर्णित मानव संसाधन के चयन एवं अनुबंध प्रक्रिया सम्बन्धी विनियम निम्नानुसार रहेंगे :-

**अ - सामाजिक विकास विशेषज्ञ -**

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

- शैक्षणिक योग्यता - कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- प्रशिक्षणिक/तकनीकी योग्यता - सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
- आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये।
- आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
- आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
- आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्य (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

**ब चयन प्रक्रिया -**

- उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -
  - उपरोक्त बिन्दु संख्या अ-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
  - बिन्दु संख्या अ-(iii) के लिए स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
  - बिन्दु संख्या अ-(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  - बिन्दु संख्या अ-(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।
- आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।



ग्रामीण विकास विभाग

9

ग्रामात्मिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान राज्य पर

संख्या: 0141-2

(25)

2/5

- iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
- iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तियों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरियता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
- v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरियता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

**ब - राज्य संसाधन व्यक्ति -**

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

- i) शैक्षणिक योग्यता - कम से कम स्नातकोत्तर / MSW (Master in Social Work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता - सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर में डिप्लोमा / डिग्री धारक
- iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये।
- iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
- v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
- vi) आवेदक सिविल सोसायटी / स्वयं सेवी संगठन से होना चाहिये जिस कम से कम 5 वर्ष का Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अकक्षा / जवाबदेही से संबंधित कार्यों (Social Audit/Accountability related Issues) को तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

**चयन प्रक्रिया -**

- i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -
  - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या ब-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
  - (ख) बिन्दु संख्या ब-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
  - (ग) बिन्दु संख्या ब-(iv) के लिए राजकीय शिक्षित्वा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  - (घ) बिन्दु संख्या ब-(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेट आवेदक को किये गये मुग्तान का विवरण भी अंकित हो।
- ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
- iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
- iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तियों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरियता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
- v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरियता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

**स - जिला संसाधन व्यक्ति :-**

जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

- i) शैक्षणिक योग्यता - कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण



- ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता - सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
- iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये।
- iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
- v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
- vi) आवेदक सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया -

- i) उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -
  - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या स-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
  - (ख) बिन्दु संख्या स-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
  - (ग) बिन्दु संख्या स-(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  - (घ) बिन्दु संख्या स-(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।
- ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
- iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
- iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरियता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
- v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त सविदा आधार पर वरियता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।
- vi) आवेदनकर्ता को उसके गृह जिले (मूल निवास जिले) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार माना जावेगा।

द - ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-
- i) शैक्षणिक योग्यता - पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
  - ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता - सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है।
  - iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
  - iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
  - v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
  - vi) आवेदक सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया -

- i) उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -



ग्रामीण विकास विभाग

जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, रा

27725

- (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या द-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
- (ख) बिन्दु संख्या द-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
- (ग) बिन्दु संख्या द-(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- (घ) बिन्दु संख्या द-(vi) के लिए सानाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।
- ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
- iii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
- iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सकल अभ्यर्थियों की वरियता सूची (Merit List) बनाई जायेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
- v) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सानाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार माना जावेगा।
- vi) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- vii) ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

य - ग्राम संसाधन व्यक्ति :-


- ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-
- i) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।
- ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
- iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
- iv) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- v) यदि उक्त बिन्दु सं० (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई भी शिक्षित व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।
- vi) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।
- vii) सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्युटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दक्षता जाँचने के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टेस्ट लिया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया -

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -

- (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या य-(i) एवं (ii) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र





4(A)

- (ख) विन्दु संख्या 4- (iii) के लिए सब हस्ताक्षरित जोषणाएं।
  - i) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
  - ii) आवेदकों की संख्या अल्पदिना होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (प्राचीन संख्या में 3 गुणा से कम) कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यतावाली आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा अतः चयनक्रम में अधिक योग्यता वाली आवेदकों (कक्षा 10 के छात्रावली) के आधार पर चयनित सूची तैयार कर उपरोक्त पैदा के दिनांक 15 मिनट आवेदकों की प्रतियोगिता सूची (मिनिट लिस्ट) तैयार की जाएगी।
  - iii) लिखित परीक्षा में प्राप्तियों/ आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में चयनित आवेदकों के आधार पर उचित आवेदकों की प्रतियोगिता सूची (Minut List) तैयार की जाएगी, निरन्तर आधार पर नियुक्ति की जानी है।
  - iv) आवेदनकर्ता को चयन हेतु जारी प्राप्त प्रतियोगिता (युक्त विवरण वाले चयन प्रतियोगिता) को सम्पादन अन्वेषण कार्य आरंभित नहीं किया जाएगा।
- 5. चयन प्रक्रिया की अन्य सामान्य विन्दु :-**
- i) सामाजिक विकास विभाग एवं अन्य संलग्न व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक सेवा परीक्षा, जवाबदेही एवं प्रतियोगिता नीतिवादी द्वारा इन विनियमों के अनुसार सम्पादित की जाएगी, परन्तु वार्षिक/वर्षावली संस्थाओं में यदि कोई व्यक्ति/व्यक्ति या अन्य को सामाजिक सेवा परीक्षा, जवाबदेही एवं प्रतियोगिता संस्थाओं को शुरू में नियुक्त द्वारा प्रतियोगिता प्रतियोगिता इन विनियमों में प्रतियोगिता प्रतियोगिता देना है।
  - ii) चयन प्रक्रिया में सामाजिक विकास विभाग, अन्य संलग्न व्यक्तियों, प्रतियोगिता, चयनित व्यक्तियों, चयनित व्यक्तियों एवं अन्य संलग्न व्यक्तियों को लिखित आवेदन पत्र के साथ आवेदन सूची की शर्तें चयनित व्यक्तियों/अथवा आकलन कर देनी उचित नहीं होगी, जो उचित कार्य के चयन की प्रतीति है। पर्याप्त ही इस सम्पादन का प्रतियोगिता नहीं प्रतियोगिता प्रतियोगिता।
  - iii) संलग्न व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक सेवा परीक्षा, जवाबदेही एवं प्रतियोगिता नीतिवादी द्वारा चयन अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नामों से सम्पादन करने में शामिल है। चयनित व्यक्तियों की प्रतियोगिता में सामाजिक सेवा परीक्षा, जवाबदेही एवं प्रतियोगिता नीतिवादी चयनित व्यक्तियों/अथवा चयनित व्यक्तियों के नामों से लिखित आवेदन पत्र के साथ आवेदन सूची की शर्तें चयनित व्यक्तियों/अथवा आकलन कर देनी उचित नहीं होगी, जो उचित कार्य के चयन की प्रतीति है। पर्याप्त ही इस सम्पादन का प्रतियोगिता नहीं प्रतियोगिता प्रतियोगिता।
  - iv) चयनित व्यक्तियों हेतु आवेदकों की संख्या अल्पदिना होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यतावाली आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा अतः चयनक्रम में अधिक योग्यता वाली आवेदकों (कक्षा 10 के छात्रावली) के आधार पर चयनित सूची तैयार कर उपरोक्त पैदा के दिनांक 15 मिनट आवेदकों की प्रतियोगिता सूची (मिनिट लिस्ट) तैयार की जाएगी।
  - v) लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में जारी प्राप्त प्रतियोगिता (युक्त विवरण वाले चयन प्रतियोगिता) को सम्पादन अन्वेषण कार्य आरंभित नहीं किया जाएगा।
  - vi) सामाजिक विकास विभाग एवं सभी संलग्न व्यक्तियों के चयन हेतु अन्वेषण कार्य आरंभित नहीं किया जाएगा।
  - vii) चयनित व्यक्तियों के चयन में चयनित व्यक्तियों/अथवा चयनित व्यक्तियों के नामों से लिखित आवेदन पत्र के साथ आवेदन सूची की शर्तें चयनित व्यक्तियों/अथवा आकलन कर देनी उचित नहीं होगी, जो उचित कार्य के चयन की प्रतीति है। पर्याप्त ही इस सम्पादन का प्रतियोगिता नहीं प्रतियोगिता प्रतियोगिता।
  - viii) चयनित व्यक्तियों में से कौशल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जाएगा एवं अनुबंध अवधि समाप्त के उपरान्त पुनः अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी चयन सामाजिक अन्वेषण कार्य के हस्तगत एवं प्राथमिकता/संतोषपूर्ण कार्य सम्पादन के आधार पर चयनित व्यक्तियों की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए



5

~~10~~

नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कर्मियों हेतु उपयुक्त चयन प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(ix) सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में अथवा ऑनलाईन निर्धारित ई-मेल/वेब पोर्टल पर ही प्रस्तुत करेंगे।

x) भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के Annular Master Circular 2019-20 के बिन्दू संख्या 10.1.4.2 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगी :-

क- मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि

ख- अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. वि.

ग- निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)

घ- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center for Social Audit)/सिविल सोसायटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि

(xi) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगी :-

क- जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पद धारी न हो।)

ख- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

ग- कोषाधिकारी

घ- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

(xii) संबंधित ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगी :-

क- उपखण्ड अधिकारी

ख- विकास अधिकारी, पंचायत समिति

ग- उप कोषाधिकारी

घ- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

(xiii) सभी पदों के लिए चयन हेतु आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षा आयोजन किया जाना आदि समस्त कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णय के अनुसार की जावेगी तथा विधिवत वरीयता सूची (Merit List) बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

(xiv) नियुक्ति प्रक्रिया एवं परिणाम आदि का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावेगा।

6. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त अनुबन्ध किये जाने की प्रक्रिया :-


i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण के अनुभव की पूर्ति हेतु पूर्व वर्षों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु किये गये भुगतान बाबत प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी की ओर से प्राप्त कर आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में तीन सामाजिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह चयन उपरान्त तीन माह की अवधि में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त ही अभ्यर्थी से विधिवत एक वर्ष के लिए संविदा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाई जा सकेगी।



- iii) ग्राम संसाधन व्यक्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण उपरान्त ही एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।
- iv) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार नियत मासिक संविदा राशि देय होगी।
- v) ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को भारत/राजस्थान सरकार/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही-एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णयानुसार अनुमोदित दरों पर, दैनिक आधार पर मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।
- vi) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन के उपरान्त पात्रता सूचि में से सूचीबद्ध (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।
- vii) किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

उक्त विनियम श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की आई.डी. संख्या 1572/सी.एस./2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदित है।



(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग सह अध्यक्ष,

कार्यकारी समिति (SSAAT)

दिनांक

क्रमांक एक 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
8. निजी सचिव, शासन सचिव अन्न एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर को उन्हें प्रस्तुत सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों की पत्रावली पर भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित है।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
15. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
16. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
17. रक्षित पत्रावली।

//  
(सामावतार शर्मा)  
निदेशक एवं सदस्य सचिव  
कार्यकारी समिति, SSAAT



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN GOV IN 2227725)

क्रमांक - एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/1805

दिनांक 27-11-2020

(आदेश 1.0/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या-1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या-14 की पालना में सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: एफ 61 (21) SSAAT /नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये हैं।

समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश में सोसायटी की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 28 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में पूर्व में जारी किये गये संशोधित आदेश क्रमांक: एफ 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में नियम-5(v) लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(v) शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है :-

"सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान को कोविड -19 की परिस्थितियों को मध्यनजर रखा जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) वरीयता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जावेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों BRPs की प्रशैक्षणिक योग्यता के बावजूत उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 4 (ii) (ii) - "प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता-सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" में निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:-

"Rajasthan Knowledge Corporation Ltd.(RKCL) द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (RSCTF) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा"।

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RAMP Act, 2012 & RAMP Rules, 2013 के प्रावधानानुसार) चयनित संस्था/संवेदक के माध्यम से केवल ऑनलाइन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन-पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था/संवेदक द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाकर पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु अपेक्षित वर्गवार वरीयता

BRP

122



122

सूचना के अधिनियम के तहत पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त सूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

समाजिक सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 के अन्तर्गत श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (SSAAT) की आई.डी. संख्या 14.19 संसाधन/2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

४

(रामावतार शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

सं. (2019)SSAAT/नियमावली/2019

दिनांक

सूचना के लेख को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
  - 2. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
  - 3. मुख्य सचिव अति मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
  - 4. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रा.वि. मंत्रालय, भारत-सरकार, नई दिल्ली।
  - 5. मुख्य सचिव, राजस्थान।
  - 6. मुख्य सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
  - 7. मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
  - 8. मुख्य सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
  - 9. मुख्य सचिव, महात्मा गाँधी नरेंगा।
  - 10. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
  - 11. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
  - 12. मुख्य सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
  - 13. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
  - 14. मुख्य सचिव, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)।
- शासी अधिकारी वेबसाइट ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/महात्मा गाँधी नरेंगा, राजस्थान पर सूचना को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाइट पर इन संशोधित विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
- मुख्य सचिव/सहायक लेखाधिकारी-1 /II/प्रोग्रामर

॥  
(रामावतार शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)



सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)  
माह मार्च 2022 में सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल पंचायत समितियों की संख्या	ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदों की संख्या (अनुपातिक आधार पर)
1	AJMER	325	54
2	ALWAR	584	97
3	BANSWARA	419	70
4	BARAN	235	39
5	BARMER	689	115
6	BHARATPUR	403	67
7	BHILWARA	398	66
8	BIKANER	367	61
9	BUNDI	184	31
10	CHITTORGARH	299	50
11	CHURU	304	51
12	DAUSA	288	48
13	DHOLPUR	189	32
14	DUNGARPUR	353	59
15	HANUMANGARH	269	45
16	GANGANAGAR	345	58
17	JAIPUR	602	100
18	JAISALMER	206	34
19	JALORE	307	51
20	JHALAWAR	254	42
21	JHUNJHUNU	337	56
22	JODHPUR	629	105
23	KARAU	243	40
24	KOTA	158	26
25	NAGUR	500	83
26	PALI	341	57
27	PRATAPGARH	235	39
28	RAJSAMAND	214	35
29	SAWAI MADHOPUR	229	38
30	SIKAR	375	62
31	SIROHI	171	28
32	TONK	236	39
33	UDAIPUR	652	108
	कुल योग	11340	1886



जिला.....

आवेदन पत्र का प्रारूप

**ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप**

आवेदक का नाम.....जन्म की तारीख..... आयु (दिनांक.....10.2022 को)  
वर्ष.....मास.....पिता/पति का नाम.....माता का नाम.....  
विवाहिक स्थिति.....वर्ग.....विशेष वर्ग.....वार्षिक परिवारिक आय.....  
मोबाईल नम्बर.....वैकल्पिक मोबाईल नम्बर.....ई-मेल.....  
स्थाई पता.....गांव का नाम.....ग्राम पंचायत का नाम.....  
.पंचायत समिति का नाम.....जिला.....आधार नम्बर.....  
पत्राचार का पता.....

शैक्षणिक योग्यता

क. सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	रोल नं.	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

क. सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	RSCIT								
2.	Degree/Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ?.....हां/नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव हां/नहीं यदि हां तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें

क.सं.	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग /पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अंकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

**डिबारमेंट/आपराधिक मामलों का विवरण**

क्या किसी बोर्ड/लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता/भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हाँ/नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हाँ/नहीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर